न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 38/19 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2019/00288

अनवान्

1. श्री कन्ना पिता शोभा कुम्हार निवासी सांगवा तहसील मावली।

..............प्रार्थी

बनाम

1. श्री बंशीलाल पिता मियाराम कुम्हार निवासी सांगवा तहसील मावली।
2. श्री रूपलाल पिता मियाराम कुम्हार निवासी सांगवा तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 14.07.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 648, 1656, 1759, 1766, 1767, 1768 किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा आराजीयात वर्तमान में मुझ प्रार्थी एवं खातेदार वख्ता पिता शोभा के नाम संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। खातेदार वख्ता पिता शोभा का निधन हो चुका है जिनके वारिस हीरालाल, कमला, नारायणी पिता वख्ता एवं देऊबाई पत्नी वख्ता हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है तथा मैं प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार उक्त वर्णित आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर बंटवाडा किया हुआ नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से मुझ प्रार्थी को अपने हिस्सा भूमि को काश्त योग्य बनाने में एवं ऋण आदि लेने तथा अपने हिस्से की भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने, विकास कार्य पिवारी करने इत्यादि में भी काफी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

कठिनाई का सामना करना पड रहा हैं। इसलिए उक्त वर्णित आराजी का मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 एवं अन्य सहखातेदारा के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक हैं। इसलिए मुझ प्रार्थी ने माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात का न तो मौके पर बंटवाडा किया हुआ है और न ही राजस्व रेकार्ड में विधिक रूप से बंटवाडा किया हुआ है और किसी भी सहखातेदारान को संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की भूमि को किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी विपक्षी संख्या 1, 2 लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर उक्त संयुक्त खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि के विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग की कृषि भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और मुझ प्रार्थी को उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग भी नहीं करने दे रहे हैं जबकि संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा होता है और किसी भी सहखातेदारों को उक्त सहखातेदारी की भूमि में से विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग की भूमि को बेचने या हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है लेकिन विपक्षी संख्या 1, 2 उक्त आराजीयात में से विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग की कृषि भूमि को विक्रय करने पर आमादा है जबकि विपक्षी संख्या 1, 2 को उक्त भूमि का बिना विधिक बंटवाडा कराये बेचने अथवा हस्तान्तरण का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा होता है और किसी भी सहखातेदारों को संयुक्त खातेदारी की भूमि में से किसी विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग की भूमि को बेचने का अधिकार नहीं है फिर भी विपक्षी संख्या 1, 2 नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त आराजीयात में से विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग को विक्रय करने पर आमादा है इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि जब तक उक्त भूमि का विधिक रूप से बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक उक्त आराजीयात में से किसी विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग को विपक्षी संख्या 1, 2 किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी को अपनी भूमि पर आवागमन करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 10.06.2019 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 ने उक्त संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे की कृषि भूमि के विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग को बेचने की धमकी दी और समझाईश करने पर भी नहीं माने तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1, 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में से विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग की कृषि भूमि को बिना विधिक रूप से बंटवाडा कराये रहन, बैह, बक्षीस आदि नहीं करे और प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे एवं विपक्षी संख्या 1, 2 उक्त भूमि से सम्बन्धित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने तो विपक्षी संख्या 4 पंजीयन नहीं करे और विपक्षी संख्या 3 व 5 राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम सांगवा में स्थित होकर प्रार्थी व खातेदार वख्ता पिता शोभा के नाम संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा एव हम विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन होना स्वीकार हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि का मौके पर हमारे बाप–दादाओ के जीवनकाल में ही अर्थात् वर्षों पूर्व ही पांती बंटवाडा कर रखा है जिससे हम विपक्षी भी अपने हक हिस्से की भूमि पर वर्षों से काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है तथा हमारे हिस्से कब्जे की भूमियों के चारो तरफ पालिये डोलिये बनी हुई है और हमने अपने हिस्से कब्जे की भूमि की सुरक्षा के लिये थौहर की बाड भी बना रखी है और लाखों रूपयो का खर्चा कर एवं परिवार सहित सख्त परिश्रम कर अपने हिस्से कब्जे की भूमि को आवादान योग्य बनाई हैं। अन्य सहखातेदार भी अपने–अपने हक हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इससे यह स्पष्ट है कि मौके पर संयुक्त रूप से भी कोई कब्जा, उपयोग उपभोग न तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

हुआ है और न ही हो रहा हैं। प्रार्थी केवल मात्र हमको तंग परेशान करना चाहता है इसी गरज से यह मिथ्या दावा किया हैं।

7. यह कि उक्त भूमि केवलमात्र रेकार्ड में सामलाती रूप से दर्ज है जबकि मौके पर हमारे बाप–दादाओं के जीवनकाल में ही अर्थात् वर्षों पूर्व ही विभाजन हो रखा है और सभी सहखातेदारान अपने हिस्से की जमीन पर स्वतन्त्र रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है और हम भी अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी उक्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है लेकिन उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होने से हमको भी अपने हिस्से कब्जे की भूमि को और अधिक विकसित करने में काफी असुविधा हो रही है इसलिए मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सानुसार भूमि का बंटवाडा कर दिया जाता है तो हमको कोई एतराज नहीं है तथा मौके पर कब्जे एवं रेकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार विभाजन कराने के लिए हम विपक्षी की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

8. यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर हमारे बाप–दादाओं के जीवनकाल में पांती बंटवाडा कर दिया था तथा उसी पांती बंटवाडे के अनुसार सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। हम विपक्षी भी वर्षों से अपने हिस्से कब्जे की जमीन पर अपने परिवारजन सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और हमने अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर लाखों रूपयों का खर्चा कर एवं परिवार सहित परिश्रम कर उपजाऊ बनाकर आवादान की है तथा हमारे द्वारा अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर काफी लागत लगाकर भूमि को आवादान कर विकसित कर देने से प्रार्थी की नियत में लोभ लालच की भावना जागृत हो गई और वह हमारे हिस्से कब्जे की जमीन को हथियाना चाह रहा है इसी नियत से इस तरह के झुठे व मनगढन्त कथन कर यह मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया है जबकि हमारे द्वारा किसी विशिष्ट आराजी के विशेष भू भाग को हस्तान्तरित नहीं किया जा रहा है और न ही ऐसी कोई आवश्यकता है और न ही प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग से रोक रहे है बल्कि प्रार्थी स्वयं नाजायज तरीके से इस मुकदमे की आड लेकर हमारे हिस्से कब्जे की जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है और हमें हमारी जमीन का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने दे रहा है और निरन्तर व्यवधान पैदा कर रहा है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। हम विपक्षी भी इस भूमि के खातेदार काश्तकार है और वर्षों से अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर काबिज चले आ रहे है और हमें हमारे हिस्से कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग करने से रोकने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है और कानूनन भी किसी सहखातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हमारे खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं।

9. यह कि प्रार्थी का न तो प्राइमाफैसी केस है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि हम विपक्षी अपने पांती बंटवाडे में आयी जमीन पर वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और हमने हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने में भी लाखों रूपयों का खर्चा किया है और परिवार सहित मेहनत मजदूरी की है तथा आज भी वर्षों पूर्व किये गये पांती बंटवाडे के अनुसार अपने हक हिस्से पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी भी उसके हिस्से पांती की जमीन पर काबिज है। हमारे द्वारा किसी विशिष्ट भू भाग की कृषि भूमि को विक्रय नहीं किया जा रहा है और न ही प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट की जा रही है बल्कि प्रार्थी एवं इसके परिवार के लोग हमारे हिस्से पांती की जमीन पर अनाधिकार रूप से दखलन्दाजी कर हमारे कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे है और नाजायज तरीके से हमारी जमीन को हथियाने पर उतारू है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हमारे विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है बल्कि हम विपक्षी प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रार्थी हमारे हिस्से कब्जे की भूमि में हमें काश्त करने एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे एवं हमें व हमारे परिवारजन को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए हमारी ओर से काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

10. यह कि प्रार्थी को हम विपक्षी के विरूद्व दिनांक 10.06.2019 को प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही निरन्तर जारी हैं। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नियत से मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण अंकन किया हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी हमारे विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं।

11. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** कि राजस्व ग्राम सांगवा तहसील मावली के आराजी नम्बर 648, 1656, 1759, 1766, 1767, 1768 किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा जिसमें हम विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित है किन्तु मौके पर प्रार्थी व हम विपक्षीगण व अन्य सहखातेदारान के मध्य हमारे बाप–दादाओं के जीवनकाल में ही अर्थात आज से कई वर्षों पूर्व ही आपसी पांती बंटवाडा [illegible] था और उसी पांती बंटवाडे के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी एवं हम विपक्षी अपने–अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर वर्षों से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है लेकिन उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने से हम विपक्षी को अपने हिस्सा भूमि का और अधिकतम विकास करने हेतु बैंक से ऋण आदि प्राप्त करने एवं भूमि का विकास करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है इसलिए हम विपक्षी उक्त कृषि भूमि में अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से का मौके पर कब्जे के आधार पर विधिक रूप से विभाजन कराने के अधिकारी है इसलिए न्यायालय आपमें काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया हैं।

12. यह कि हम विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का मौके पर कई वर्षों पूर्व ही बंटवाडा किया हुआ है तथा हम विपक्षी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर अपने परिवारजन सहित काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा हमने हमारे हिस्से कब्जे की जमीन को भी काफी खर्चा कर एवं परिवार सहित मेहनत मजदूरी कर आवादान कर विकसित की है जिससे प्रार्थी की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है और हमारे हिस्से कब्जे की भूमि को जबरन हथियाने की नियत से प्रार्थी आये दिन हम विपक्षी से लडाई झगडा करता है और हम विपक्षी को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक नहीं करने दे रहा है और निरन्तर बाधाएं उत्पन्न कर रहा है और हमारी जमीन पर अनाधिकार रूप से कब्जा करना चाह रहा है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम विपक्षी प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रार्थी हम विपक्षी को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, हम विपक्षी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

13. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षी संख्या 1, 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार के रूप में काश्तकार हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग को विक्रय हस्तान्तरण करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया हैं। यदि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि में से विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग को विक्रय अथवा हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा संतुलन—* चूंकि वाद वर्णित भूमि के सहखातेदार प्रार्थी एवं विपक्षीगण है। न्यायालय का यह भी अभिमत है कि बिना बंटवाड़ा करवाए विपक्षीगण विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग को विक्रय हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। वैसे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय में वर्णित प्रावधानो के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि में कोई भी सहखातेदार बिना बंटवाडा करवाये किसी विशेष भू—भाग का विक्रय अथवा हस्तान्तरण नही कर सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।
3. *अपूरणीय क्षति का बिन्दु* — चूंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1, 2 की सहखातेदारी की भूमि है और यदि विपक्षी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि में से विशिष्ट आराजी के विशिष्ट भू भाग को विक्रय अथवा हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थी के कब्जे काश्त में असुविधा होगी तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक अधिकार माना जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

15. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2070—73 के खाता संख्या 48 पर दर्ज आराजी नम्बर 848, 1656, [illegible] 1766, 1767, 1768 किता 6 कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

10 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा मूल वाद बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1, 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। यहां न्यायालय का यह भी अभिमत है कि बिना बंटवाड़ा करवाए विपक्षी संख्या 1, 2 बाहुबल से वादग्रस्त भूमि में से किसी विशेष आराजी के विशेष भू–भाग को विक्रय, हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

इस सम्बन्ध में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 में निहित है कि किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हो तो सम्पत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जा सकता जिससे यह स्पष्ट है कि अंतिम अदालती निर्णय सभी पक्षो के लिये बाध्यकारी होगा। मुकदमा बाजी के दोरान विवादित सम्पत्ति अथवा विवादित भूमि की यथास्थिति को बनाये रखना होगा। भले ही नये खरीदार को मुकदमें के बारे में जानकारी ना हो।

इस बारे में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा शंकरलाल बनाम् दिलिप कुमार वगैरा आर.एल.डब्यु 2010 (1) राज में यह निर्णित किया की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212, 53, 88, 89, 188 में सह काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अगर विभाजन हेतु वाद लम्बित हो एवं अप्रार्थी द्वारा भूमि विशेष के भाग का विक्रय किया हो या करने पर आमादा हो ऐसी स्थिति में उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से अवरूद किया जा सकता है। Issuance of temporary injection against cotenant - suit for partation is pending - non pititinor intends to sell and dispose part of lend - held if cotenant intents to show his right of any particular part of land he can be restrained by a temporary injection and court is empowered to issue temporary injection. इसी प्रकार राजस्व मन्डल की वृहद पीठ ने 1996 आर.आर.डी पेज 148 देवीलाल बनाम् अन्य में जो कानुन में वर्णित किया है। वो भी इस पर चस्पा होता है।

विपक्षीगण को यदि विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण का किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नही होगा। न्यायालय का मानना है कि सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। यदि विपक्षी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि का बिना बंटवाडा करवाये किसी विशेष भू भाग का हस्तान्तरण कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किये गये है। प्रकरण में दिनांक 12.06.2019 से विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 को वादग्रस्त आराजीयात के किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार एवं विपक्षी संख्या 1, 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 1, 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 48 पर दर्ज आराजी नम्बर 648, 1656, 1759, 1766, 1767, 1768 किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1, 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested